कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2025 / 548**
दायरा तिथि : 19.09.2025
आदेश तिथि : 17/11/2025
प्रार्थी :–

रमेश परिहार पुत्र रामप्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोधपुर हाल दुदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 17/11/025

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 325/1 रकबा 0.40 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 325 रकबा 0.8500 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान, राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/1857 दिनांक 12.02.2024 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। वर्तमान में आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु दूदनी डूब क्षेत्र में से आना जाना करता है। चूंकि आवेदक द्वारा जहां रास्ता प्रस्तावित किया गया है वहां पक्के मकान बने होने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त रास्तो के विकल्पों में से निकटतम दुरी का है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार	वि.वि
1	325	0.85	बा.सो.	180X05= 900 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार	संलग्न नक्शे में दर्शित बिन्दु A से B तक रास्ता मौके पर चल रहा है। बिन्दु B से C तक प्रस्तावित रास्ते में मौके पर रजगा बोया हुआ है।

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी. दर 315636/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है। संलग्न नक्शे अनुसार बिन्दु B से C तक प्रस्तावित रास्ते में मौके पर रजगा बोया हुआ है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/548

अनवान रमेश परिहार बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 325/1 रकबा 0.40 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 325/1 रकबा 0.40 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम दूदनी (बाहरी क्षेत्र) पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 325 रकबा 0.8500 हैक्टर में से **900 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 315636/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
325	0.85	180X05=900 वर्गमीटर	32	28800X2=57600	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 57600/– (अक्षरे सतावन हजार छः सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

(दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/1495–1499

दिनांक : 17-11-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक रमेश परिहार पुत्र रामप्रकाश जाति मेघवाल निवासी जोधपुर हाल दुदनी तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 06/02/2024 05:57:48 AM

पाली

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : बेडा

:दूदनी

ग्राम : दूदनी(बाहरीक्षैत्र)

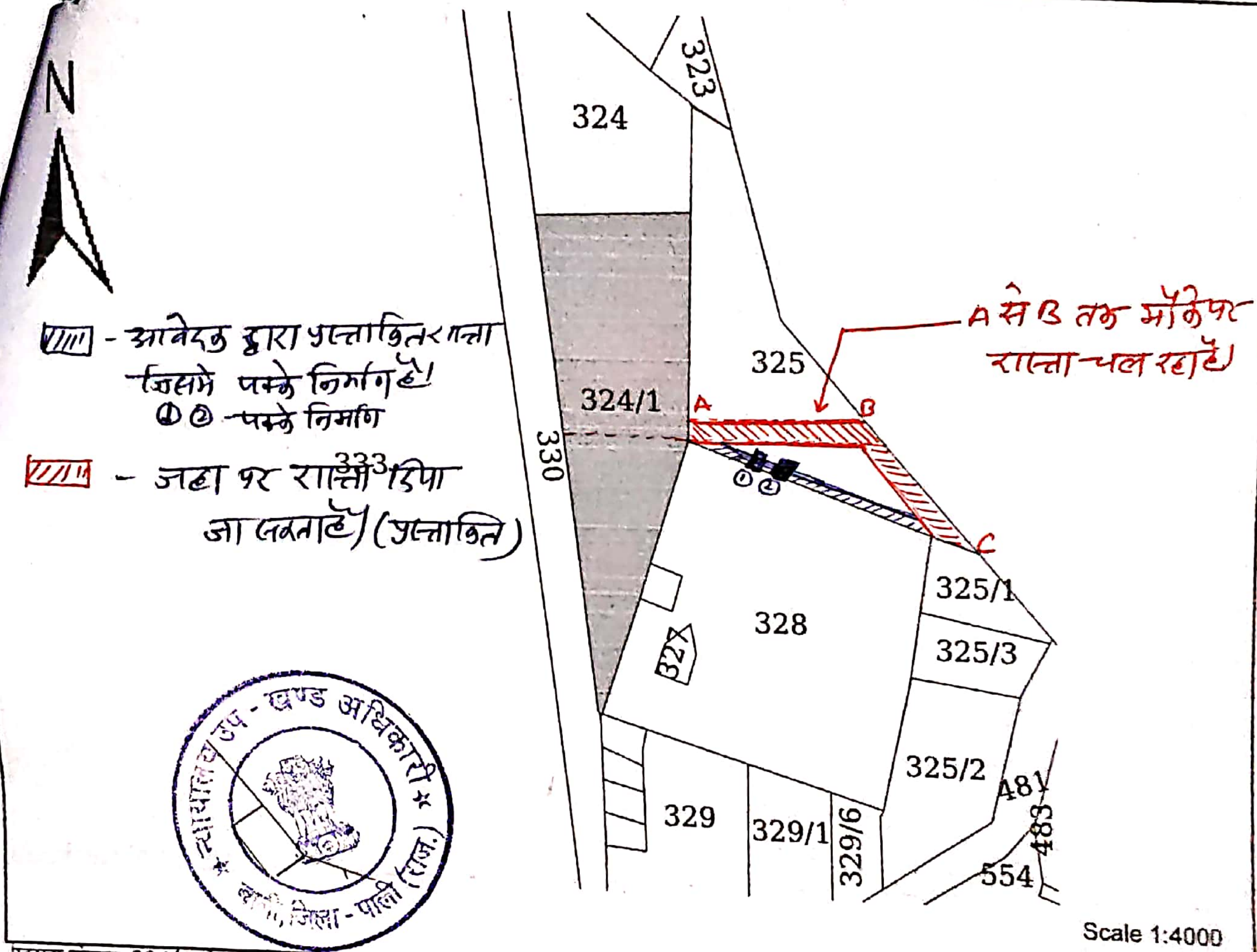

खसरा संख्या :324/1 क्षेत्रफल : 1.6000 Hectare खाता संख्या : 334पुराना खाता संख्या :321

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.आबादी [1.6000]

1.) ग्राम.पंचायत.दूदनी.आबादी हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

तहसीलदार,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Scanned with OKEN Scanner